आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 116/2011** **त्रिभुवन मांझी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 24761/13 त्रिभुवन मांझी बनाम राज्य एवं अन्य में दाखिल वाद से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1046/आपूर्ति दिनांक 22.11.2011 के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा गठित पंचायत वार जॉच दल द्वारा दिनांक 25.10.2011 को त्रिभुवन मांझी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत–बिसाही, प्रखंड–दरियापुर के दुकान की जॉच की गयी थी। जॉच के क्रम में सूचनापट्ट है, मूल्य भंडार प्रदर्शन पट्ट प्रदर्शित नहीं है। वितरण पंजी नहीं दिखाया गया है। जॉच पदाधिकारी द्वारा पूछ–ताछ से स्पष्ट हुआ कि संतोषजनक वितरण नहीं होता है। इस संबंध में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। विक्रेता के द्वारा प्राप्त कराए गए स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मॉग की गयी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकार, सोनपुर ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया था कि विक्रेता का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 तथा संशोधित 2011 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति शर्त्तों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में दिनांक 2.5.2003 को पारित न्यायादेश की कंडिका 1(ए) की स्पष्ट अवहेलना एवं उक्त प्रावधान के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने का निदेश है। निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के मंतव्य के आलोक में विक्रेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विक्रेता	

की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि सूचनापट्ट है, लेकिन भंडार एवं मूल्य प्रदर्शन तालिका प्रदर्शित नहीं है यह आरोप गलत लगाया गया है, जबकि अपीलार्थी के द्वारा भंडार एवं मूल्य प्रदर्शन तालिका प्रतिदिन संधारित किया जाता था, जिसकी फोटोग्राफ संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया गया कि वितरण पंजी नहीं दिखाया गया है, जबकि अपीलार्थी के द्वारा आवश्यक सामग्रियों का उठाव करने के पश्चात् भंडार में भंडारित करता था तथा पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के संयोजक से सत्यापित करने के उपरान्त उपभोक्ताओं से कूपन प्राप्त कर उनकी देख–रेख में वितरण करता था। वितरण के उपरान्त वितरण संबंधी प्रमाण–पत्र अपीलार्थी अपने भंडार एवं वितरण पंजी में अंकित करता था, जिसकी छायाप्रति संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया गया कि उपभोक्ताओं से पूछताछ करने से स्पष्ट है कि वितरण संतोषजनक नहीं है, जबकि अपीलार्थी के द्वारा पंचायत स्तरीय निगरानी समिति की देख–रेख में कूपन पर वितरण करता था तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपन को कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही अगले माह का उपावंटन कार्यालय से प्राप्त करता था (कूपन प्राप्ति प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न)। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा Speaking order पारेत नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 867 दिनांक 13/8/2014

प्रतिलिपि – SDO सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण।